

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी रिट याचिका संख्या 333/2016

बाबूलाल सैनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक :

03.04.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री चिरंजीलाल सैनी, अधिवक्ता— याची की ओर से।

श्री अलादीन खान, लोक अभियोजक।

विद्वान अधिवक्ता याची अवसर चाहते हैं।

प्रार्थनानुसार प्रकरण दो सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति